भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3390

(दिनांक 09.08.2023 को उत्तर के लिए)

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के माता-पिता के लिए बाल देखभाल अवकाश

3390. श्री सुब्रत पाठक:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार अपने उन कर्मचारियों (माता या पिता) के लिए बाल देखभाल अवकाश का प्रावधान करने पर विचार कर रही है जिनके बच्चे ऑटिज्म या सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार अपने उन कर्मचारियों को 15 दिनों की विशेष आकस्मिक छुट्टी देने पर विचार कर रही है जिनके बच्चे गंभीर रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग हैं, ऑटिज्म या सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित हैं, ताकि उनकी देखभाल की जा सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह

(क) से (ग) : सिविल सेवाओं तथा संघ के मामलों से संबंधित पदों पर नियुक्त महिला सरकारी कर्मचारी तथा एकल पुरूष सरकारी कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 के नियम 43-सी के तहत अपनी पूरी सेवा के दौरान अपने दो जीवित सबसे बड़े बच्चों के लिए 18 वर्ष की आयु तक अधिकतम सात सौ तीस दिनों की अवधि के लिए बाल देखभाल अवकाश (सीसीए) के लिए पात्र हैं और भिन्न रूप से सक्षम (डिफरेन्टली एबल्ड चाइल्ड) के मामले में ऐसी कोई आयु-सीमा नहीं है।